भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3331
08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

तमिलनाडु में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी

3331. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियनः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु में सरकारी मेडिकल कॉलेजों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए रिक्तियों की वर्तमान संख्या और प्रतिशत जिला-वार और विशेष रूप से ग्रामीण, जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में कितना है;
(ख) क्या सरकार को सरकारी मेडिकल कॉलेजों और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन को मजबूत करने हेतु अतिरिक्त वित्तीय या तकनीकी सहायता संबंधी प्रस्ताव तमिलनाडु सरकार से प्राप्त हुए हैं;
(ग) यदि हाँ, तो प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है; और
(घ) तमिलनाडु के जनजातीय और वंचित क्षेत्रों में चिकित्सा पेशेवरों की तैनाती और उनकी सेवाएं बनाए रखने के लिए अपनाई गई रणनीतियों के विशेष संदर्भ में, स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को दूर करने में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) और किसी केंद्र प्रायोजित पहल की क्या भूमिका है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): हेल्थ डाइनेमिक्स ऑफ इंडिया (एचडीआई) 2022-23 के अनुसार, तमिलनाडु में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (यूपीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी), जिला अस्पताल (डीएच) और उप-जिला अस्पताल (एसडीएच) में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के संबंध में रिक्तियों का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय है और मानव संसाधन के विस्तार सहित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने का दायित्व संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है।

(ख) और (ग): तमिलनाडु सरकार ने कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन बढ़ाने हेतु वित्तीय और तकनीकी सहायता हेतु तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का विवरण कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में उपलब्ध है। दी गई स्वीकृतियाँ कार्यवाही अभिलेख (आरओपी) में दर्शाई गई हैं, जो निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

https://nhm.gov.in/index4.php?lang=1&level=0&linkid=59&lid=72

(घ): एनएचएम स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को दूर करने के लिए, विशेष रूप से आदिवासी और वंचित क्षेत्रों में, वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इसकी प्रमुख कार्यनीतियों में शामिल हैं:

i. प्रोत्साहन और भत्ते:
    - ग्रामीण/दूरस्थ क्षेत्रों में विशेषज्ञों के लिए दुर्गम क्षेत्र भत्ते।
    - सिजेरियन जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को करने वाले विशेषज्ञों के लिए मानदेय।
    - "यू कोट, वी पे" योजना के तहत अवकल वेतन।

ii. अवसंरचना और समर्थन:
    - **जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित करने के लिए जनसंख्या मानदंडों में ढील।**
    - **जनजातीय और दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल चिकित्सा इकाइयों (एमएमयू) की तैनाती।**
    - **प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जनजातीय प्रसव प्रतीक्षा कक्षों का निर्माण।**

iii. कौशल विकास और प्रतिधारण:
    - आपातकालीन प्रसूति परिचर्या (ईएमओसी) और जीवन रक्षक एनेस्थीसिया कौशल (एलएसएएस) जैसे बहु-कौशल कार्यक्रम।
    - दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अधिमान्य प्रवेश।
    - स्टाफ क्वार्टरों और बेहतर निवास की स्थिति का प्रावधान।

iv. प्रौद्योगिकी एकीकरण:
    - दूरदराज के क्षेत्रों को विशेषज्ञों से जोड़ने के लिए ई-संजीवनी जैसे टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के अंतर्गत, तमिलनाडु को शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं और क्रिटिकल केयर ब्लॉकों के निर्माण सहित स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए 1,656.32 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

इन उपायों का उद्देश्य पूरे तमिलनाडु में, विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में, समान, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना है।

अनुलग्नक

"तमिलनाडु में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी" के संबंध में माननीय सांसद डॉ. टी सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन द्वारा दिनांक 08.08.2025 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3331 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण

तमिलनाडु में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (यूपीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी), जिला अस्पताल (डीएच) और उप-जिला अस्पताल (एसडीएच) में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के संबंध में रिक्तियों का विवरण

स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन (एचआरएच)	स्वीकृत	स्थित	रिक्ति	रिक्ति %
पीएचसी में डॉक्टर	2934	2594	340	12%
सीएचसी में जीडीएमओ	2190	2005	185	8%
यूपीएचसी में डॉक्टर	558	493	65	12%
यूसीएचसी में जीडीएमओ	48	43	5	10%
सीएचसी में विशेषज्ञ	329	227	102	31%
यूसीएचसी में विशेषज्ञ	40	30	10	25%
पीएचसी में फार्मासिस्ट	1419	1046	373	26%
सीएचसी में फार्मासिस्ट	488	407	81	17%
यूपीएचसी में फार्मासिस्ट	395	338	57	14%
यूसीएचसी में फार्मासिस्ट	37	34	3	8%
पीएचसी में लैब तकनीशियन	1419	1046	373	26%
सीएचसी में लैब तकनीशियन	594	552	42	7%
यूपीएचसी में लैब तकनीशियन	400	345	55	14%
यूसीएचसी में लैब तकनीशियन	44	36	8	18%
पीएचसी में स्टाफ नर्स	5146	4439	707	14%
सीएचसी में स्टाफ नर्स	3699	3290	409	11%
यूपीएचसी में स्टाफ नर्स	1411	1237	174	12%
यूसीएचसी में स्टाफ नर्स	374	306	68	18%
डीएच में डॉक्टर और विशेषज्ञ	791	771	20	3%
एसडीएच में डॉक्टर और विशेषज्ञ	3066	2714	352	11%
डीएच में पैरामेडिकल स्टाफ	2732	2263	469	17%
एसडीएच में पैरामेडिकल स्टाफ	6292	5597	695	11%

*****